



झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

वार्षिक इंटरमीडिएट (विज्ञान, वाणिज्य एवं कला संकाय) परीक्षा,
2020 के परीक्षाफल में संशोधन एवं उत्तरपुस्तिकाओं के पुनरीक्षण में
संबंधित आवश्यक सूचना

विज्ञापित संख्या - 22/2020

एतद् द्वारा सभी छात्र/छात्राओं, अभिभावकों एवं महाविद्यालयों/+2 विद्यालयों के प्राचार्यों को सूचित किया जाता है कि वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा-2020 के विज्ञान, वाणिज्य एवं कला संकाय के जिन छात्रों के अंक पत्रक में किसी भी प्रकार की अभिव्यक्ति यथा Invalid, Withheld, Incomplete, Absent है वे संबंधित +2 विद्यालय/महाविद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्राचार्य द्वारा अग्रसारित आवेदन पत्र के साथ प्रमाण पत्रों (फंजीयन स्सीट, प्रवेश पत्र और अंक पत्र) की छाया प्रति लगाकर परिषद् कार्यालय में दिनांक 31.08.2020 तक किसी भी कार्य दिवस को जमा कर सकते हैं। इसके लिए किसी भी प्रकार का शुल्क देय नहीं होगा। निर्धारित तिथि के उपरान्त परीक्षाफल संशोधन हेतु कोई भी आवेदन परिषद् में स्वीकार नहीं किया जायेगा।

उक्त आवेदन परिषद् कार्यालय, राँची, संथाल परगना प्रमण्डल के लिए क्षेत्रीय कार्यालय, दुमका एवं पलामू प्रमण्डल के लिए प्रमण्डलीय कार्यालय, मेदिनीनगर में निर्धारित अवधि तक जमा लिये जायेंगे।

(2) साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा-2020 के जो छात्र/छात्रा अपने विषय/विषयों के प्राप्तांक से संतुष्ट नहीं हैं, वे स्कूटनी के लिए अपना आवेदन दिनांक 01.08.2020 से 31.08.2020 तक झारखण्ड अधिविद्य परिषद् के वेबसाइट (www.jac.jharkhand.gov.in) के माध्यम से जमा करेंगे। स्कूटनी के लिए आवेदन जमा करने की विधि निम्नवत् होगी -

- * परिषद् के वेबसाइट पर स्कूटनी के लिए देय ऑनलाइन प्रपत्र में अपना पंजीयन करेंगे एवं वेबसाइट पर उपलब्ध दिशा-निर्देश के अनुरूप आवेदन प्रपत्र भरेंगे।
- * प्रत्येक सैद्धांतिक विषय का पुनरीक्षण शुल्क 500/- (पाँच सौ) रुपये सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से देय होगा। अधिकतम तीन विषयों का पुनरीक्षण अनुमान्य है।
- * ऐसे छात्र/छात्राएँ जो इंजीनियरिंग/मेडिकल आदि संस्थाओं में प्रवेश प्रतियोगिता के आधार पर या स्पेशल रूप में त्वरित प्रक्रिया के तहत स्कूटनी हेतु आवेदन देना चाहते हैं, उनके लिए प्रति विषय ₹1000/- की दर से शुल्क ऑनलाइन माध्यम से देय होगा।

i). स्कूटनी में निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जायेगा:-

- (क) अंदर के पृष्ठों में आवंटित अंक अगर मुख्य पृष्ठ पर अंकित नहीं है तो उसे मुख्य पृष्ठ पर अंकित करते हुए योग में सुधार किया जायेगा।
- (ख) अगर कोई प्रश्नोत्तर बिना मूल्यांकन के रह गया है तो उसका मूल्यांकन किया जायेगा।
- (ग) अंकों का योग अगर सही नहीं है तब उसमें सुधार किया जायेगा।
- (घ) स्कूटनी के लिए आवेदन देनेवाले छात्रों को स्पष्ट किया जाता है कि स्कूटनी के तहत मूल्यांकित प्रश्नोत्तर का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जाता है।

ii). निर्धारित तिथि के बाद अथवा डाक द्वारा भेजा गया स्कूटनी आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।

अध्यक्ष के आदेश से,

ह./-

(महीप कुमार सिंह)

सचिव,

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।

JAC/मा.गो./5382/10-SECY/234/20

DI- 23.07.2020

D.O.P.- 24.07.2020

नंबर से असंतुष्ट विद्यार्थी स्कूटनी के लिए दें आवेदन

प्रमुख संवाददाता ▸ रांची

झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जैक) ने मैट्रिक व इंटर परीक्षा के स्कूटनी की तिथि घोषित कर दी है, जो परीक्षार्थी अपने प्राप्तांक से असंतुष्ट हैं, वे स्कूटनी के लिए आवेदन कर सकते हैं. इस वर्ष स्कूटनी की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी. परीक्षार्थी जैक की वेबसाइट के मध्यम से आवेदन जमा कर सकते हैं. मैट्रिक के परीक्षार्थी 29 जुलाई से 28 अगस्त तक आवेदन जमा कर सकते हैं. आवेदन फॉर्म जैक की वेबसाइट पर उपलब्ध है.

परीक्षार्थी अधिकतम तीन विषय के लिए आवेदन कर सकते हैं. मैट्रिक में एक विषय के लिए 300 रुपये शुल्क जमा करना होगा. जैक ने स्पष्ट किया है निर्धारित तिथि के बाद या डाक के माध्यम से स्कूटनी के लिए भेजे गये आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा.

इंटर के लिए 31 अगस्त तक जमा होगा आवेदन: इंटर के परीक्षार्थी एक से 31 अगस्त तक स्कूटनी (अधिकतम तीन विषय) के लिए आवेदन जमा कर सकते हैं. प्रत्येक विषय के लिए 500 रुपये शुल्क जमा करना होगा.

मेडिकल व इंजीनियरिंग के परीक्षार्थी के लिए स्पेशल स्कूटनी: मेडिकल, इंजीनियरिंग व अन्य शिक्षण संस्थानों में प्रवेश परीक्षा में शामिल

- मैट्रिक के परीक्षार्थी 29 जुलाई से 28 अगस्त तक आवेदन दे सकते हैं
- जैक की वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं

स्कूटनी में इन बिंदुओं पर होगा विचार

- कॉपी में अंदर के पृष्ठों में आवंटित अंक अगर मुख्य पृष्ठ पर अंकित नहीं है, तो उसे मुख्य पृष्ठ पर अंकित करते हुए योग में सुधार जायेगा.
- अगर कोई प्रश्नोत्तर बिना मूल्यांकन के रह गया है, तो उसका मूल्यांकन किया जायेगा.
- अंकों का योग अगर सही नहीं होगा, तो उसमें सुधार किया जायेगा.
- स्कूटनी के तहत मूल्यांकित प्रश्नोत्तर का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जायेगा.

विद्यार्थी स्पेशल स्कूटनी के लिए आवेदन जमा कर सकते हैं. इसके तहत स्कूटनी की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी की जायेगी. इसके लिए परीक्षार्थी को प्रति विषय एक हजार रुपये शुल्क जमा करना होगा.

स्कूटनी में क्या होगा: जैक ने स्पष्ट किया है कि स्कूटनी में उत्तरपुस्तिका का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जायेगा.

अंक पत्र में सुधार के लिए भी कर सकते हैं आवेदन

मैट्रिक व इंटर के परीक्षार्थी अपने अंक पत्र में सुधार के लिए भी आवेदन जमा कर सकते हैं. मैट्रिक के परीक्षार्थी 28 अगस्त तक व इंटर के परीक्षार्थी 31 अगस्त तक आवेदन जमा कर सकते हैं. इसके लिए परीक्षार्थी को अपने स्कूल-कॉलेज के प्राचार्य से आवेदन अग्रसारित करना होगा. आवेदन के साथ प्रमाण पत्र की स्वअभिग्रामाणित छाया प्रति भी जैक कार्यालय में जमा करनी होगी. निर्धारित तिथि के बाद संशोधन के लिए आवेदन जमा नहीं लिया जायेगा. इसके लिए क्षेत्रीय कार्यालय दुमका व प्रमंडलीय कार्यालय पलामू में भी आवेदन जमा लिया जायेगा.

